छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 3-6-2003 / 7-6-2003

क्रमांक एफ-14-2/03/(6)/11-7 राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी "छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान नियम -2001" लागू करता है ।

1- परिचय :-

औद्योगिक नीति 2001-2006 में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग लगाने अनुभवी सलाहकारों से परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने पर व्यय की आंशिक पूर्ति करने का प्रावधान किया गया है जिससे इन वर्गों के उद्यमियों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु परियेजना प्रतिवेदन के रूप में उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं / बैंक से ऋण प्राप्त करने में असुविधा न हो ।

2- नियम :-

ये नियम " छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2001 कहे जावेगें ।

3- प्रभावी दिनांक:-

ये नियम दिनांक 1.11.2001 से सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी माने जावेगें ।

4- परिभाषाऐं :-

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई मध्यम, तथा वृहद इकाई अनुसूचित जाति -जनजाति ,अनुसूचित जाति /जनजाति द्वारा स्थापित / प्रस्तावित उद्योग , परियोजना लागत व परियोजना प्रतिवेदन आदि की वही परिभाषाएं होगी हो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2/03/(6)/7/6/03 के द्वारा जारी की गयी है ।

5- पात्रता :-

(क) 1-राज्य में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले नवीन लघु / मध्यम तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों को राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवहलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कंसलटेंट. से परियोजना प्रतिवेदन बनवाये जाने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर यह अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

2-योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेने के लिये औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारंभ करने के एक वर्ष की अवधि तक सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। निर्धारित समायवधि के पश्चात दिये गये आवेदन पर अनुदान की पात्रता नही होगी।

(ख) पररियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान ाका लाभ औद्योगिक क्षेत्रों में अथवा उद्योग विभाग या उसकी किसी एजेन्सी द्वारा अन्यत्र उपलब्ध कराई गई भूमि पर स्थापित होने वाले नवीन औद्योगिक इकाईयों को ही दिया जावेगा

(ग) इस योजना का लाभ उन उद्योगों को भी प्राप्त होगा जो उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (ख) के अंतगर्गत नही आतें है परन्तु वे किसी नगर निगम / नगर नालिका सीमा के बाहर स्थापित होते है ।

P

6– योजना का कियान्वयन :–

योजना काकियान्वयन उद्योग संचालनालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किया जावेगा । उद्योग का वित्त पोषण छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डव्हलपमेंट कापोरेशन लि0 द्वारा होने पर कियान्वयन एजेन्सी "छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डव्हलपमेंट कापोरेशन लि0" होगी ।

7– परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एजेन्सी :–

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य शासन वाणिज्य व उद्योग विभाग तथा छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कापोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक कनसल्टेंटस की सूची संधारित की जावेगी, जिसमें ब्युरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट भी सम्मिलित होंगे । राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनुमोदित कंसल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाना, परियोजना पर ऋण उपलब्ध हो जाने की गारंटी नही है तथा ऋण न मिलने पर राज्य शासन (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 पर किसी प्रकार का दावा नही किया जा सकेगा न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय होगी ।

8– परियोजना लागत प्रतिपूर्ति अनुदान प्राप्ति हेतू प्रकिया :–

1– नवीन औद्योगिक इकाईयों को उद्योग आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों के साथ जिले के जिला व्यापार एवं उंद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा ।

(अ) प्रस्तावित लद्यु उद्योग पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा स्थायी लद्यु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या औद्योगिक (विकास व नियमन) अधिनियम 1951 के तहत प्राप्त लायसेंस /आशय पत्र यदि लागू हो ।

(ब) वृहद / मध्यम उद्योग होने पर आई0ई0एम0 / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र जो लागू हो,तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन –प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।

(स) राज्य शासन व्दारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी व्दारा जारी अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यप्रति एवं मूल प्रति (मूल प्रति बाद में वापिस कर दी जावेगी)

(द) परियोजना प्रतिवेदन के बिल व भुगतान की रसीद ।

(च) परियोजना प्रतिवेदन की एक मूल प्रति ।

(छ) उद्योग स्थल की भूमि औद्योगिक क्षेत्र या नगर पालिका / नगर निगम की सीमा के बाहर होने संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

2– रूपये एक करोड की परियोजना लागत वाले प्रकरणों पर स्वीकृति महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा तथा रूपये एक करोड़ से अधिक परियोजना लागत वाले प्रकरणों पर स्वीकृति अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी की जावेगी ।

3– विभागीय बजट उपलब्ध होने पर ही स्वीकृत राशि का वितरण किया जावेगा । इसमें विलंब होने पर शासन का कोई उत्तरदायित्व नही होगा ।

9– परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति की दर व मात्रा :–

कमांक	विवरण	अनुदान की राशि
1	परियोजना लागत रूपये एक करोड़ की सीमा तक	राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा निर्धारित दर या परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत या परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर हुआ वास्तविक व्यय जो सबसे कम हों

2	परियोजना लागत रू0 एक करोड़ से अधिक होने पर	राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा निर्धारित दर या परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत या परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर हुआ वास्तविक व्यय जो सबसे कम हो, अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख तक परिसीमित

10– नियमों की व्याख्या पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं इकाई के लिए बंधनाकारी होगा

नियमों की व्याख्या पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं इकाई के लिए बंधनाकारी होगा

11– इस योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर